कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/ 2236 /री0ए0डी0एम0/वि.स.निर्वा./2018　　　इन्दौर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा-18 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985)

विधान सभा आम निर्वाचन-2018 को दृष्टिगत् रखते हुवे निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग व तेज आवाज से आम जन की शांति भंग होती है तथा इस प्रकार होने वाले ध्वनि प्रदूषण से लोक प्रशांति को भंग होने से रोकने के लिए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के अन्तर्गत आज दिनांक 07/10/2018 से दिनांक 28/11/2018 तक की अवधि के लिए सम्पूर्ण इन्दौर जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र(साईलेन्स झोन) घोषित किया जाता है । उपरोक्त उल्लेखित अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेंगा ।

मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-2(ध) के अन्तर्गत इन्दौर जिले में पदस्थ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व इस हेतु अधिकृत पुलिस अधिकारी को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया जाता है ।

निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के मध्य नहीं किया जावेगा । अर्थात् किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6.00 बजे के पूर्व व रात्रि 10.00 के बाद नहीं दी जा सकेगी ।

वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेंगी । वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के

कलेक्टर
जिला इन्दौर

पश्चात् लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जावेंगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेंगी ।

(निशांत वरवड़े)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

URGENT

पृ0क्रमांक/ 2237 /री0ए0डी0एम0/निर्वाचन/2018 इन्दौर, दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
6. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर ।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
8. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर(समस्त) ।
10. अति0 पुलिस अधीक्षक, पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/महू/ग्रामीण इन्दौर ।
11. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर ।
12. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सेन्ट्रल कोतवाली/मल्हागंज/राऊ/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/खुड़ैल/कम्पेल/महू/हातोद/देपालपुर/सांवेर, जिला इन्दौर ।
13. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्ट्रल कोतवाली/परदेशीपुरा/सराफा/मल्हागंज/अन्नपूर्णा/जूनी इंदौर /संयोगितागंज/विजय नगर/आजाद नगर/गांधी नगर/खजराना ।
14. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), महू/सांवेर/देपालपुर ।
15. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
16. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर ।
17. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
18. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।
19. थाना प्रभारी, थाना .... जिला इन्दौर ।

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.